निर्वाचन तत्काल

कैम्प बैग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.3/4/आई.डी./2015/एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक- 28 सितम्बर, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार,
पटना।

विषय- बिहार के राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2015-मतदाता की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश।

महोदय,

मुझे बिहार के राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के आदेश को एतद्द्वारा संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि सभी निर्वाचक को जिन्हें निर्वाचक फोटो मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्र पर मत देने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करना पड़ेगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रदर्शित करना होगा।

3. जैसा कि आयोग के पत्र सं. 464/INST-VS/2014-EPS दिनांक 21 मार्च, 2014 में पहले ही निदेश दिया जा चुका है कि निर्वाचन दिवस से कुछ दिन पहले सभी निर्वाचकों को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्चियां बांट दी जाएगी। मतदान दिवस पर, मतदान समय के दौरान, एक अधिकारी (बीएलओ) अवितरित फोटो मतदाता पर्ची के साथ प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर ड्यूटी पर होगा, जिससे कि उन निर्वाचकों को जिन्हें प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची जारी नहीं की गई है मतदान स्थल के बाहर अपनी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची मूल प्रति में प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारी, अवितरित फोटो मतदाता पर्ची के साथ मतदान स्थल के बाहर किसी सुस्पष्ट स्थान पर फेसिलिटेशन डेस्क पर बैठा हो। इस जानकारी

को प्रदर्शित करने वाले बैनर/पोस्टर स्थानीय भाषा में आसानी से देखे जा सकने वाले किसी स्थान पर लगे होने चाहिए। आयोग के इन आदेशों को मतदान से पहले सभी संचार माध्यमों द्वारा विस्तृत रुप से प्रचारित किया जाना चाहिए।

4. ईपीआईसी के संबंध में, प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रदर्शित करना होगा।

5. प्रवासी निर्वाचकों को अपनी पहचान के लिए केवल अपने मौलिक पासपोर्ट को ही प्रदर्शित करना होगा।

6. आदेश को रिटर्निंग ऑफिसरों तथा सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। आदेश की स्थानीय भाषा में अनुवादित प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए।

7. आयोग का दिनांक 28 सितम्बर, 2015 का आदेश तत्काल राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए। साधारण जनता एवं निर्वाचकों के सूचनार्थ प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस आदेश को व्यापक प्रचार किया जाए । उक्त साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस आदेश के बारे में लिखित रुप में बताया जाए।

8. कृपया नोट किया जाए कि प्ररुप 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तम्भ (3) में पहचान पत्र के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ईपीआईसी एवं प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचको के संबंध में, इतना ही पर्याप्त है कि उपयुक्त स्तम्भ में क्रमशः 'ई पी' (ईपीआईसी के लिए) तथा 'वी एस' (फोटो मतदाता पर्ची के लिए) लिखा जाए, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ईपीआईसी एवं फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखी जाए। तथापि, वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वालों के संबंध में, दस्तावेज के अंतिम चार अंक लिखने का निर्देश जारी रहेगा। उसमें प्रदर्शित दस्तावेज की प्रकृति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।